न्यूज़ टुडे

भारत के 5 नए औद्योगिक क्लस्टर्स 'ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पहल (TICI)' में शामिल हुए

इनमें गोपालपुर **औद्योगिक पार्क, काकीनाडा क्लस्टर, केरल ग्रीन हाइड्रोजन वैली, मुंद्रा क्लस्टर और मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर** शामिल हैं।

- **औद्योगिक क्लस्टर्स** भौगोलिक रूप से **कनेक्टेड क्षेत्र या हब** होते हैं, जहां आपस में जुड़े हुए उद्योग, कंपनियां और संस्थान आर्थिक संवृद्धि को गति देने के लिए मिलकर सहयोग करते हैं।
- **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** की एक रिपोर्ट के अनुसार, औद्योगिक क्लस्टर्स इकोनॉमी ऑफ स्केल, जोखिम साझाकरण और मांग को बेहतर रूप से प्रबंधित एवं संतुलित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, औद्योगिक क्लस्टर्स स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों, अवस्थिति और विविध उद्योगों की मौजूदगी के चलते अनोखे लाभ भी प्रदान करते हैं।

स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना विकास में बाधक चुनौतियां

- **ग्रीन प्रीमियम का मुद्दा:** उदाहरण के लिए 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा से **हरित अमोनिया की उत्पादन लागत, जीवाश्म ईंधन के माध्यम से उत्पादन की औसत लागत से लगभग तीन गुना अधिक थी।**

स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को बढ़ाने के लिए सिफारिशें

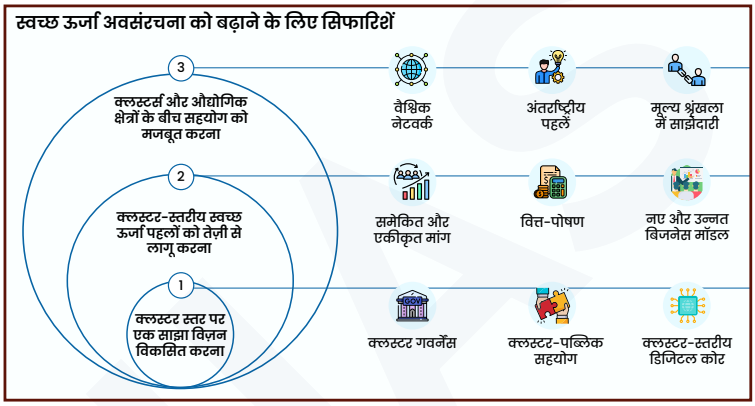

- **स्वच्छ ईंधन संबंधी मानकों, प्रमाणनों और नीतियों में तालमेल का अभाव:** उदाहरण के लिए वैश्विक स्तर पर **हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स (जैसे अमोनिया) के लिए 34 प्रमाणन** योजनाएं हैं।
- **अन्य:** इसमें **मजबूत मांग की कमी, गवर्नेंस, डेटा प्रोटोकॉल और नियंत्रण में अंतराल** आदि शामिल हैं।

ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पहल क्या है?

- यह **विश्व आर्थिक मंच** की एक पहल है। इसे पहली बार UNFCCC के COP26 में लॉन्च किया गया था। 2021 का COP26 **यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो** में आयोजित हुआ था।
- वर्तमान में, इसमें **16 देशों और पांच महाद्वीपों के 33 क्लस्टर्स** शामिल हैं।
- यह निर्धारित क्षेत्र में स्थापित उन **कंपनियों और सार्वजनिक संस्थाओं का सबसे बड़ा समूह** है, जो आर्थिक संवृद्धि और रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हुए अपने **ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने के प्रति प्रतिबद्ध** होते हैं।

विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञ ने सिंधु जल संधि विवाद पर निर्णय लेने में स्वयं को 'सक्षम' बताया

सिंधु जल संधि (IWT), 1960 की शर्तों के तहत नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने घोषणा की है कि वह **सिंधु जल संधि की नदियों पर निर्मित जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन पर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों पर निर्णय लेने के लिए "सक्षम" है।** भारत ने विशेषज्ञ की इस घोषणा का "स्वागत" किया है।

सिंधु जल संधि (IWT) 1960: IWT पर **1960 में भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर** किए थे। इस संधि पर **विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता** की गई थी। इसका उद्देश्य दोनों देशों के मध्य **सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे को निर्धारित** करना है।

इस संधि के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर:

- **जल का बंटवारा: पूर्वी नदियों (सतलुज, ब्यास और रावी)** का समस्त जल **भारत को आवंटित किया गया है। पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम और चिनाब)** का जल **ज्यादातर पाकिस्तान के लिए निर्धारित** किया गया है।
  - इसमें दोनों देशों को एक-दूसरे को आवंटित की गई नदियों के जल के कुछ विशेष या निर्धारित उपयोगों की अनुमति दी गई है।
  - इसलिए, भारत को इस संधि में दिए गए **डिजाइन संबंधी नियमों** सहित कुछ बाध्यताओं के अधीन पश्चिमी नदियों पर **जलविद्युत ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण करने की अनुमति है।**
- **मतभेदों और विवादों का निपटारा:** इसमें तीन स्तरीय विवाद निपटान तंत्र का प्रावधान है:
  - **स्थायी सिंधु आयोग:** यह **प्रत्यक्ष वार्ता** के लिए मंच है।
  - **तटस्थ विशेषज्ञ:** इसे **तकनीकी असहमतियों को दूर** करने के लिए **विश्व बैंक** द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  - **कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (COA):** इसमें पहले के चरणों के माध्यम से हल नहीं किए जा सके विवादों का समाधान किया जाता है। यह इस विवाद निपटान तंत्र का **उच्चतर स्तर** है।

सिंधु नदी प्रणाली

वर्तमान विवाद

- **पृष्ठभूमि:** वर्तमान विवाद भारत में **झेलम और चिनाब की सहायक नदियों पर स्थित क्रमशः किशनगंगा (330 मेगावाट) तथा रतले (850 मेगावाट) जलविद्युत संयंत्रों के डिजाइन संबंधी विशेषताओं** से संबंधित है।
- **विरोधी दृष्टिकोण:** 2016 में **पाकिस्तान ने विवाद को हल करने के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन** द्वारा निर्णय का प्रस्ताव रखा था, जबकि **भारत ने तटस्थ विशेषज्ञ** द्वारा विवाद को हल करने की मांग की थी।

सिंधु जल संधि (IWT) का महत्त्व

- **राजनीतिक:** यह संधि लगभग 65 वर्षों से कायम है, जो **तृतीय-पक्ष की सफल मध्यस्थता और विवाद निवारण** का उत्तम उदाहरण है।
- **आर्थिक:** सहयोग और प्रौद्योगिकी के माध्यम से **जल की उपलब्धता को अधिकतम करना तथा विकास को बढ़ावा देना।**
- **पारिस्थितिकी:** जलवायु परिवर्तन, जल की कमी जैसी **उभरती चुनौतियों से निपटना।**

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने 'नेविगेटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम फ्रेगमेंटेशन रिपोर्ट' जारी की

इस रिपोर्ट में **एकीकृत वित्तीय प्रणाली की मांग** की गई है तथा एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं को **व्यापक सिद्धांत सुझाए** गए हैं।

फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम (GFS) क्या है?

- **अर्थ:** इसे आर्थिक रूप से समरूप (या समान) परिसंपत्तियों की कीमतों में या सीमाओं के पार पूंजी की मुक्त आवाजाही आदि में **अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में मौजूद विभिन्नताओं के स्तर** के रूप में समझा जा सकता है।
  - इसके कारण **प्रशुल्क, आर्थिक प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण बढ़** जाते हैं। इससे सीमा-पार निवेश में बाधा उत्पन्न होती है।

फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम (GFS) पर हालिया रुझान

- **आर्थिक शासन:** यह किसी देश द्वारा अपनी **विदेश नीति और घरेलू उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक साधनों एवं नीतियों का उपयोग है।** उदाहरण के लिए- प्रतिबंधों, संरक्षण आदि का उपयोग।
- **बढ़ती बहुध्रुवीयता:** वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडारों में **डॉलर की हिस्सेदारी 71% (1999) से घटकर 58% (2024)** हो गई है, जो को बढ़ती बहुध्रुवीयता को दर्शाती है।
- **भू-राजनीतिक घटनाएं:** कोविड-19 महामारी और उसके बाद आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान; घरेलू अर्थव्यवस्थाओं का लचीलापन बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीतियां (उदाहरण के लिए- मेड इन चाइना, 2025) आदि।
- **कमजोर होता ग्लोबल गवर्नेंस:** 2019 के बाद से, विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय निर्णय जारी करने में असमर्थ रहा है। इससे क्षेत्रीय व्यापार गुटों के गठन में तेजी आई है।

ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम (GFS) एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु मुख्य सिफारिशें

- **विधि के शासन** को बनाए रखना चाहिए, संपत्ति और वित्तीय स्वामित्व अधिकारों का सम्मान करना चाहिए आदि।
- सीमा-पार पूंजी, सेवाओं, वस्तुओं और डेटा प्रवाह के **विनियमन को मानकीकृत** करना चाहिए।
- फाइनेंशियल फ्रेगमेंटेशन या वित्तीय विखंडन के नकारात्मक बाह्य प्रभावों को उजागर करने के लिए **नियमित तौर पर स्ट्रेस-टेस्टिंग** का उपयोग करना चाहिए।

वैश्विक वित्तीय प्रणाली के एकीकरण को बढ़ावा

- विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं का गठन
- वित्तीय अविनियमन
- रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के उपयोग जैसी तकनीकी भूमिका

फ्रैगमेंटेड या खंडित GFS से संबंधित समस्याएं

- **मैक्रोइकॉनॉमिक्स अर्थशास्त्र:** इससे **वैश्विक उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़** सकता है। साथ ही, इससे अल्पावधि में **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 5% की कमी** आ सकती है।
- **उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव:** पूंजी और निवेश तक पहुंच के बिना, ये **अंतर्राष्ट्रीय नियम-आधारित प्रणाली के बाहर से वित्तीय सहायता** प्राप्त कर सकते हैं।
- **वित्तीय संस्थाओं पर प्रभाव:** इससे **वित्तीय मध्यस्थता** की सुविधा प्रदान करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। साथ ही, उन्हें ऋण, मुद्रा और दिवालियापन संबंधी जोखिम आदि का सामना करना पड़ता है।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की 'ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप (GPAP)' में सात नए सदस्य शामिल हुए

नए सदस्यों में **अंगोला, बांग्लादेश, गैबॉन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया** शामिल हैं।

ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप (GPAP) के बारे में

- **शुरुआत:** इसे **2018 में विश्व आर्थिक मंच** द्वारा आयोजित **"सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन"** के दौरान लॉन्च किया गया था।
  - GPAP **"प्लेटफॉर्म फॉर एक्सीलेरेटिंग द सर्कुलर इकोनॉमी' और "फ्रेंड्स ऑफ ओशन एक्शन"** के **प्लास्टिक पिलर** के रूप में कार्य करती है।
- **वर्तमान सदस्य:** इसके **25 सदस्य** हैं। इनमें **देश का महाराष्ट्र राज्य** भी शामिल है।
- **इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - **सरकारों, व्यवसाय जगत और नागरिक समाज को एक साथ लाकर** प्लास्टिक प्रदूषण संकट से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई को तेज करना;
  - **सर्कुलर प्लास्टिक इकॉनमी की दिशा में आगे बढ़ना,** ताकि उत्सर्जन में कमी हो सके। साथ ही, भूमि व महासागरीय पारिस्थितिकी-तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- **प्रमुख कार्य:** देशों को **राष्ट्रीय कार्रवाई रोडमैप तैयार करने और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए फंड जुटाने** में मदद करना।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत की पहलें

- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:** यह **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व** (EPR) प्रावधान के जरिए प्लास्टिक की रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देकर प्लास्टिक अपशिष्ट के दुष्प्रभाव को कम करता है।
- 2023 में **ऑस्ट्रेलिया** के साथ साझेदारी में **"भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी लाने के लिए नेशनल सर्कुलर इकॉनमी रोडमैप"** लॉन्च किया गया था।

विश्व में प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने में आने वाली चुनौतियां

- **बढ़ते प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन की सीमित क्षमता:** OECD की ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक रिपोर्ट, 2022 के अनुसार 2000 से 2019 के बीच विश्व में **प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा दोगुने से अधिक** हो गई है।
  - नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, 2024 में **भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश बन** गया था।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट की कम रीसाइक्लिंग:**
  - केवल **9% प्लास्टिक अपशिष्ट** की रीसाइक्लिंग की गई है;
  - **19% प्लास्टिक अपशिष्ट** को जलाया गया; तथा
  - लगभग **50% प्लास्टिक अपशिष्ट** को सैनिटरी लैंडफिल्स में डाल दिया गया।

प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभाव

- **पर्यावरण पर प्रभाव:**
  - यह **भूमि, ताजे जल और समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र को प्रदूषित** करता है।
  - यह **जैव विविधता हानि, पारिस्थितिकी-तंत्र के निम्नीकरण और जलवायु परिवर्तन** के लिए भी जिम्मेदार है।
  - प्लास्टिक प्रदूषण **प्रति वर्ष अनुमानित 1.8 बिलियन टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** के लिए जिम्मेदार है। **लैंडफिल्स से उत्सर्जित मीथेन** विशेष रूप से उत्तरदायी है।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** प्लास्टिक **माइक्रोप्लास्टिक के रूप में खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके** जानवरों और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है।
- **अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: पर्यटन, मात्स्यिकी, कृषि और जल सुरक्षा** जैसे क्षेत्रकों से होने वाली आय में गिरावट दर्ज की जाती है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीएम जनमन पर जिलाधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया

इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास, PVTGs छात्रावासों (स्कूलों), पेयजल आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिलों में सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करके योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाना है।

पीएम जनमन (प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के बारे में

- **आरंभ:** इसे 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था।
- **फोकस क्षेत्र और मंत्रालय:** 9 संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप।
- **उद्देश्य:** पक्के मकानों के निर्माण, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की तैनाती, स्वास्थ्य व आरोग्य केंद्रों और वन धन विकास केंद्रों की स्थापना आदि के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में विकास संबंधी कमियों को दूर करना।
- **बजट आवंटन:** तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26 तक) के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपये।
- **कवरेज:** अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPST) के अंतर्गत।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के समक्ष चुनौतियां

- **संरचनात्मक भेदभाव:** PVTGs को अक्सर "आदिम" माना जाता है और उन्हें "प्रतिकूल" नजरिये से देखा जाता है।
- **भूमि हस्तांतरण:** PVTGs अक्सर भूमि और वन संसाधनों से वंचित हो जाते हैं तथा उन्हें बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता है। वन अधिकार अधिनियम (2006) के अनुचित कार्यान्वयन के कारण PVTGs अक्सर भूमि अधिकारों से वंचित रह जाते हैं।
- **स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे:** PVTGs को उच्च शिशु एवं मातृ मृत्यु दर, कुपोषण और एनीमिया का सामना करना पड़ता है।
- **शिक्षा संबंधी बाधाएं:** शिक्षा प्रणालियों में उनके सांस्कृतिक ज्ञान को शामिल नहीं किया गया है।

जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने हेतु उठाए गए कदम

- **संविधान का अनुच्छेद 275(1):** यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि से अनुदान सहायता की गारंटी देता है।
- **प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA):** चयनित आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
- **प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY):** महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों को आदर्श गांवों में बदलना।

PVTGs के बारे में

- भारत में PVTGs के रूप में दर्ज आदिवासी समुदाय को सबसे वंचित और सबसे कम अधिकार प्राप्त आदिवासी समुदाय माना जाता है।
- भारत में 75 समुदाय PVTGs के रूप में दर्ज हैं, जो देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 220 जिलों में रहते है।
- सरकार PVTGs को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत करती है:
  - कृषि-पूर्व (Pre-agricultural) युग का प्रौद्योगिकी स्तर,
  - स्थिर या घटती जनसंख्या,
  - अत्यंत कम साक्षरता, और
  - आर्थिक पिछड़ापन।

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री के अनुसार भारत शीघ्र ही पहला 'मानवयुक्त अंडरवाटर सबमर्सिबल (डीप-सी मानवयुक्त यान) लॉन्च करेगा

प्रारंभ में यह सबमर्सिबल यान 500 मीटर की गहराई तक कार्य करेगा। बाद में डीप ओशन मिशन (DOM) के तहत इसके 6,000 मीटर की गहराई तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।

- इससे पहले, भारत ने गहरे समुद्र में खोज के लिए चेन्नई में अपना पहला और अनूठा मानवयुक्त ओशन मिशन "समुद्रयान" लॉन्च किया था।

डीप ओशन मिशन (DOM) के बारे में

- **परिचय:** यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसे 2021 में पांच साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था।
- **नोडल मंत्रालय:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।
  - प्रधान मंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PMSTIAC) के तहत 9 मिशनों में 'डीप ओशन मिशन' भी शामिल है।
- **उद्देश्य:** समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले संसाधनों की खोज करना। इन संसाधनों में क्रिटिकल मिनरल्स, दुर्लभ धातुएं और अज्ञात समुद्री जैव विविधता शामिल हैं।

मिशन के प्रमुख पिलर्स

- गहरे समुद्र में खनन के लिए प्रौद्योगिकियों और मानव को समुद्र की गहराई तक ले जाने वाली सबमर्सिबल का विकास करना।
  - यह सबमर्सिबल यान तीन लोगों को हिंद महासागर में 6,000 मीटर की गहराई तक ले जा सकेगा।
  - यह यान पॉलिमैटेलिक नोड्यूल्स के खनन में सहायक सेंसर्स और उपकरणों से लैस होगा।
- **महासागरीय जलवायु परिवर्तन पर परामर्श सेवाओं का विकास:** इनमें कई प्रकार के महासागरीय पर्यवेक्षण और मॉडल्स शामिल होंगे।
- गहरे समुद्र की जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार।
- हिंद महासागर के मध्य-महासागरीय कटकों में बहु-धात्विक हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनिजीकरण (Mineralisation) के संभावित स्थलों की पहचान के लिए गहरे समुद्र में सर्वेक्षण व खोज करना।
- महासागरीय जल से ऊर्जा का उत्पादन करना और तकनीकों की मदद से महासागरीय जल को पेयजल बनाने के लिए प्रयास करना।
- ओशन बायोलॉजी और ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में नए अवसर पैदा करने के लिए उन्नत मरीन स्टेशन की स्थापना करना।

अन्य सुर्खियां

तदर्थ न्यायाधीश (Ad Hoc Judge)

सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी कार्यकाल के लिए हाई कोर्ट्स में तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने का सुझाव दिया है। इसका उद्देश्य लंबित आपराधिक मामलों का शीघ्र निपटारा करना है।

तदर्थ न्यायाधीश के बारे में

- **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान के अनुच्छेद 224A के अनुसार किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अपने यहां न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है।
- **नियुक्ति की प्रक्रिया:** मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MOP), 1998 में उल्लेखित है।

नोट: संविधान के अनुच्छेद 127 में सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा न होने की स्थिति में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

वैगई नदी

हाल ही में, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने स्थानीय निकायों को वैगई नदी के पुनरुद्धार के लिए एक कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया।

वैगई नदी के बारे में

- **उद्गम:** वरुशनद क्षेत्र में पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों की पूर्वी ढलान से होता है।
  - कावेरी और पम्बर कोट्टाकरैयार बेसिन (उत्तर), गुंडर बेसिन (दक्षिण), पेरियार बेसिन (पश्चिम) तथा बंगाल की खाड़ी (पूर्व) से घिरा हुआ चापाकार बेसिन।
- **प्रमुख सहायक नदियां:** वरात्तर, नागालर, वराहनाधी, मंजालार, मरुधनधी, सिरुमलियार, सथैयार आदि।
- **प्रवाह:** तमिलनाडु के थेनी, डिंडीगुल, मदुरै, शिवगंगा और रामनाथपुरम जिले से होकर बहती है।
- **अपवाह:** पाक खाड़ी में मिलती है।

शत्रु संपत्ति (Enemy Property)

हाल ही में **मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने "शत्रु संपत्ति" से संबंधित एक मामले में याचिकाकर्ता को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष याचिका** दायर करने को कहा है।

शत्रु संपत्ति के बारे में?

- ऐसी संपत्तियों को **शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968** के तहत विनियमित किया जाता है।
- 1968 के अधिनियम में 'शत्रु' को **ऐसे देश और उसके नागरिक के रूप में परिभाषित** किया गया है, जिसने भारत पर बाह्य आक्रमण किया हो। इन देशों में **पाकिस्तान और चीन** शामिल हैं।
- शत्रु संपत्ति से तात्पर्य किसी **शत्रु देश, उसके नागरिक या उसकी कंपनी द्वारा भारत में स्वामित्वाधीन या धारित या प्रबंधित किसी संपत्ति** से है।
- इस **अधिनियम में 2017 के संशोधन द्वारा 'शत्रु' की परिभाषा का विस्तार** करते हुए इसमें **निम्नलिखित को भी शामिल किया गया:**
  - **शत्रु देश का कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी**- चाहे वह भारत का नागरिक हो या न हो, या किसी ऐसे देश का नागरिक हो जो शत्रु देश न हो।
  - **कोई भी शत्रु जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली** है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)

हाल ही में, **केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंकों से वित्तीय धोखाधड़ी की जांच के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ एकीकरण** को पूरा करने को कहा।

- I4C के साथ एकीकरण के बाद, वित्तीय धोखाधड़ी की कोई भी शिकायत, **त्वरित आवश्यक कार्रवाई** के लिए संबंधित बैंक को भेजी जाएगी।

'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)' के बारे में

- **मंत्रालय:** इसे **केंद्रीय गृह मंत्रालय** के तहत स्थापित किया गया है।
- **उद्देश्य:**
  - विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के मामलों से निपटने के लिए एक **केंद्रीय हब** के रूप में कार्य करना। साथ ही, **शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और रुझानों का विश्लेषण** करना भी शामिल है।
  - जन जागरूकता बढ़ाते हुए **साइबर अपराधों के बारे में सचेत करना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सक्रिय कार्रवाई सुनिश्चित** करना।
  - साइबर-अपराध से संबंधित क्षेत्रों में **पुलिस, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों** के क्षमता निर्माण में मदद करना।

सुपरमैसिव ब्लैक होल

हाल ही में, नासा ने एक **अनोखे ब्लैक होल (LID-568)** की खोज की है। इससे सुपरमैसिव ब्लैक होल के बारे में जानकारी मिलेगी।

- LID-568 एक **कम द्रव्यमान** वाला सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जो **बिग बैंग के 1.5 अरब वर्ष बाद अस्तित्व** में आया है।

सुपरमैसिव ब्लैक होल के बारे में

- यह सबसे आम प्रकार का **ब्लैक होल** है। इसमें तीव्र गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसके कारण तारे एक विशेष तरीके से इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं।
  - ब्लैक होल **ब्रह्मांडीय पिंड हैं, जिनमें बहुत छोटे स्थान** में पदार्थ की विशाल सांद्रता होती है।
- **एडिंगटन सीमा:** यह सीमा ब्लैक होल द्वारा मैटर को ग्रहण करने की दर को नियंत्रित करती है।
  - एक बार जब यह सीमा पार हो जाती है, तो इसे **सुपर-एडिंगटन अभिवृद्धि** कहा जाता है।
  - LID-568 **अपनी एडिंगटन सीमा से 40 गुना अधिक दर से मैटर** को ग्रहण कर रहा है।

कश्मीरी चिनार

हाल ही में, कश्मीरी चिनार को QR-कोड के साथ **जियो-टैगिंग** के माध्यम से डिजिटल सुरक्षा मिली है।

कश्मीर चिनार (प्लैटैनस ओरिएंटलिस) के बारे में

- **मूल स्थान:** यह मूलतः **ग्रीस** से संबंधित है। यह पूरे कश्मीर में पाया जाता है, विशेष रूप से **पूर्वी हिमालय में** उगता है।
  - श्रीनगर की **डल झील** के एक द्वीप **चार चिनार का नाम इसके नाम** पर ही रखा गया है।
- **प्रमुख विशेषताएं:**
  - **विशाल एवं पर्णपाती तथा 30 मीटर तक ऊंचे** होने वाले इस वृक्ष को पूरी ऊंचाई तक पहुंचने में लगभग 150 वर्ष लगते हैं।
  - यह अपनी **दीर्घायु और रंग बदलती पत्तियों** के लिए जाना जाता है। जैसे- **गहरी हरी (ग्रीष्म), रक्त-लाल, अंबर और पिली (शरद ऋतु)**।
  - **उपयोग:** इसका **औषधीय उद्देश्यों, इंटीरियर फर्नीचर के लिए लकड़ी, रंग बनाने** आदि के लिए उपयोग किया जाता है।

वैश्विक निवेश रुझान निगरानी रिपोर्ट (Global Investment Trends Monitor Report)

हाल ही में **वैश्विक निवेश रुझान निगरानी रिपोर्ट** जारी की गई।

- यह रिपोर्ट **'संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास (UNCTAD)'** ने जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- कुल मिलाकर वैश्विक **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), 2024 में 11% बढ़कर 1.4 ट्रिलियन डॉलर** हो गया था।
  - हालांकि, **यूरोपीय कॉन्डुइट अर्थव्यवस्थाओं** के माध्यम से होने वाली FDI को छोड़ दिया जाए, तो **वैश्विक FDI में 8% की गिरावट** दर्ज की गई है।
    - **कॉन्डुइट अर्थव्यवस्थाएं** अक्सर FDI के अंतिम गंतव्य तक पहुंचने से पहले **ट्रांसफर पॉइंट या मध्यवर्ती** के रूप में कार्य करती हैं।
- **विकासशील देशों में FDI में 2% की गिरावट** दर्ज की गई है। **ग्लोबल साउथ के देशों में FDI में लगातार दूसरे साल गिरावट** दर्ज की गई है।
- 2024 में वैश्विक स्तर पर **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से संबंधित क्षेत्रकों में किए जाने वाले निवेश में 11% की गिरावट** दर्ज की गई थी।
- भारत में **ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में FDI में 13% की वृद्धि और इन परियोजनाओं में संवृद्धि** दर्ज की गई है।

विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA)

हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति ने **'विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA)'** से देश भर में विमानपत्तन संचालकों द्वारा लगाए जाने वाले **उपयोगकर्ता विकास शुल्क** के बारे में विवरण प्रस्तुत करने को कहा है।

विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA) के बारे में

- यह **भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008** के तहत गठित एक **वैधानिक निकाय** है।
- **मुख्य कार्य:**
  - **वैमानिकी सेवाओं के लिए प्रशुल्क तय करना:** प्रशुल्क तय करते समय पूंजीगत व्यय, दक्षता लागत, आर्थिक व्यवहार्यता, सरकारी रियायतें आदि पर विचार किया जाता है।
  - यह **विमान नियमावली, 1937** के अंतर्गत **विकास शुल्क और यात्री सेवा शुल्क** निर्धारित करता है।
  - यह विमानपत्तनों पर उपलब्ध **सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता** सुनिश्चित करता है।
  - **केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य या प्रशुल्क संबंधी अन्य कर्तव्यों** का पालन करता है।

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS)

हाल ही में, INCOIS (हैदराबाद) को **सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार-2025** के लिए चुना गया।

- **नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती (23 जनवरी)** के अवसर पर भारत में आपदा प्रबंधन में योगदान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने हेतु वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई थी।

INCOIS के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)** के तहत 1999 में गठित किया गया था। यह **पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ESSO) की एक इकाई** है।
  - यह **यूनेस्को के समुद्र विज्ञान आयोग (IOC)** का स्थायी सदस्य है।
- **महत्वपूर्ण कार्य**
  - समुद्र से संबंधित **महत्वपूर्ण जानकारी और सलाहकारी सेवाएं** प्रदान करता है।
  - **भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (ITEWC)** के माध्यम से सुनामी, तूफानी लहरों, ऊंची लहरों आदि के लिए चेतावनी जारी करता है।

नैवाशा झील

नैवाशा झील की आक्रामक जलकुंभी मछुआरों की आजीविका के लिए खतरा बन रही है।

नैवाशा झील (केन्या) के बारे में

- यह **दक्षिणी रिफ्ट घाटी में मीठे जल की एक उथली झील** है, जो बबूल के वनों से घिरी हुई है।
- इसमें बारहमासी **मालेवा और गिलगिल** नदियों से पानी आता है। ये दोनों नदियां **मध्य केन्या के एबरडेयर पर्वतों** से निकलती हैं।
- झील में पानी **का कोई निकास नहीं है, इसके बावजूद भी यह ताजे जल की झील बनी रहती** है। इसका मुख्य कारण **पूर्वी रिफ्ट घाटी में भूमिगत रिसाव और नमक अवसादन** है।
- इसे **रामसर साइट्स के अंतर्गत आर्द्रभूमि** के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।